झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

(सिविल विविध अपीलकर्ता क्षेत्राधिकार)

विविध अपील सं० - 218/2018

शाखा प्रबंधक, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 504, महाबीर टावर चर्च कॉम्प्लेक्स के सामने, मेन रोड, थाना - हिंदपीढ़ी, डाकघर - रांची, जिला-रांची (विपक्षी संख्या 2) .... **अपीलकर्ता(ओं)**

-बनाम-

1. बिनीता टोपनो पति स्वर्गीय प्रकाश टोपनो
2. सुनीता टोपनो पिता स्वर्गीय प्रकाश टोपनो
3. दशरथ टोपनो पिता स्वर्गीय प्रकाश टोपनो
4. सूरज टोपनो पिता स्वर्गीय प्रकाश टोपनो
5. मुश्कान टोपनो पिता स्वर्गीय प्रकाश टोपनो
6. घोगेया टोपनो @ चोसेया टोपनो पिता स्वर्गीय टोपा टोपनो
7. मुक्तक टोपनो पति घोगेया टोपनो

(दावेदार नंबर 2 से 5 नाबालिग हैं, जिनका प्रतिवादी नंबर 1 के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, उनकी मां उनकी अगली दोस्त हैं) सभी ग्राम - लेटर, डाकघर - अंबापखना, थाना - रनिया, जिला - खूंटी। .... (आवेदक/दावेदार संख्या क्रमशः 1-7)

8. पुष्पा तिर्की पति कमलेश यादव, निवासी ग्राम नारेकेला डाकघर - ममरला, थाना - बसिया, जिला - गुमला (मालिक) विपक्षी संख्या 1) .... **प्रतिवादी**

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलकर्ता की ओर से : श्री आलोक लाल, अधिवक्ता
श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1-7 के लिए : श्री कृपा शंकर नंदा, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 8 के लिए : श्री एन.के. सिन्हा, अधिवक्ता

<u>निर्णय/ जजमेंट</u>

<u>सी.ए.वी. दिनांक 22/11/2023</u> **<u>घोषित - 21/12/2023</u>**

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. वर्तमान विविध अपील बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173(1) के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VI-सह-पीओ, एमएसीटी, गुमला द्वारा मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 70/2012 में पारित दिनांक 21.11.2017 के विवादित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत दावेदार अर्थात् (1) बिनीता टोपनो (2) सुनीता टोपनो (3) दशरथ टोपनो (4) सूरज टोपनो (5) मुश्कन टोपनो (6) घोगेया टोपनो और (7) मुक्तक टोपनो (अपीलकर्ता संख्या 2-5 नाबालिग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिवादी संख्या 1 उनकी मां के माध्यम से किया जा रहा है, जो उनकी अगली मित्र हैं) को दावा याचिका स्वीकार किए जाने की तिथि से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 6,08,540/- रुपये का मुआवजा दिया गया है। अर्थात् 20.09.2014 से इसकी वसूली तक। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत भुगतान किया गया अंतरिम मुआवजा, यदि कोई हो, उसमें से काट लिया जाएगा।

3. दावेदारों का मामला संक्षेप में यह है कि प्रकाश टोपनो, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो दावेदार के परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, दिनांक 25.12.2011 की मध्य रात्रि को ग्राम बंगरू, थाना पालकोट, जिला-गुमला के निकट एनएच-पिच रोड पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन संख्या जेएच-01जी(टी)-4470/8930 तथा स्थायी रजिस्ट्रेशन संख्या जेएच-07डी-3574 वाले मोटर वाहन के प्रयोग के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया, जबकि उक्त बोलेरो वाहन चलाते समय उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि मृतक उक्त बोलेरो वाहन की मालकिन पुष्पा तिर्की के यहां कार्यरत था तथा 6,000/- रुपये प्रतिमाह कमाता था। दुर्घटना की प्रासंगिक तिथि को आपत्तिजनक वाहन का बीमा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी (विपक्षी संख्या 2) के पास था। दावेदारों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 9% ब्याज, अंतिम संस्कार लागत और कंसोर्टियम के नुकसान के साथ 6 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है।

4. विपक्षी संख्या – 1, पुष्पा तिर्की, अस्थाई नं. जे.एच.-01जी(टी)-4470/8930 तथा स्थाई पंजीकरण नं. जे.एच.-07डी-3574 वाले वाहन की मालिक ने उपस्थित होकर अन्य आधारों के साथ-साथ मामले का विरोध किया कि घटना की तिथि और समय पर, चालक/मृतक बिना मालिक की अनुमति के वाहन के साथ अपने परिवार/रिश्तेदार के घर त्यौहार मनाने के लिए अपने काम से गया था और अकुशल ड्राइविंग के कारण दुर्घटना हुई। आगे यह भी दलील दी गई कि चूंकि अपराधी वाहन विपक्षी संख्या 2 के तहत 14.10.2011 से 13.10.2012 तक वैध बीमा पॉलिसी के तहत बीमित था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है।

5. विपक्षी संख्या 2 बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/वर्तमान अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में विशेष रूप से दलील दी है कि कथित दुर्घटना की तारीख पर मृतक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वह ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य भी नहीं था और उसे जानबूझकर वाहन मालिक द्वारा यात्रियों को ले जाने के लिए वाहन चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। इसलिए, बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है और कंपनी बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने और दावेदारों को कोई मुआवजा राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा, मृतक चालक को तीसरे पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि वह मालिक/बीमित व्यक्ति का एजेंट है, इस आधार पर भी बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह भी बताया गया है कि अपराधी वाहन को स्थायी पंजीकरण के बिना चलाया जा रहा था।

6. पक्षों के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दों का निपटारा किया है:

1. क्या मृतक प्रकाश टोपनो (35 वर्ष) की मृत्यु दुर्घटना की कथित तिथि 25-12-2011 को इंजन नं. GHB4H21866, चेसिस नं. MA1XA2GHKB5J94126 पंजीकरण नं. JH-01G(T)-4470 वाले आरोपित बोलेरो वाहन को चलाते समय हुई थी?
2. क्या उक्त दुर्घटना में चालक प्रकाश टोपनो की मृत्यु अनाधिकृत या लापरवाही से वाहन चलाने, या उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई?
3. क्या मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था और यदि हां, तो क्या यह बीमा कंपनी के लिए वैध बचाव है?

4. क्या तीसरे पक्ष में आरोपित वाहन का चालक शामिल है?
5. क्या दावेदार मांगे गए मुआवजे के हकदार हैं और यदि हां तो उसकी राशि कितनी है?
6. किस विपक्षी पक्ष से दावेदार मुआवजा पाने के हकदार हैं?

दावेदारों की ओर से निम्नलिखित गवाहों की जांच की गई है:-

- सी.डब्ल्यू - पाहना बारला
- सी.डब्ल्यू 2 - जिदान टोपनो
- सी.डब्ल्यू 3 - जकारियस टोपनो
- सी.डब्ल्यू 4 - बिनीता टोपनो, खुद दावेदार नंबर 1

निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:-

- ईएक्सटी 1- जी.आर. केस संख्या 1155/2011 की एफ.आई.आर की प्रमाणित प्रति।
- ईएक्सटी 2- जी.आर. केस संख्या 1155/2011 के अनुरूप आरोप पत्र संख्या 38/2012 की प्रमाणित प्रति।
- ईएक्सटी 3- पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र।
- मार्क "X"- मृतक प्रकाश टोपनो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी।
- मार्क "X/I"- पुष्पा तिर्की की मालिकाना किताब की फोटोकॉपी।
- मार्क "X/II"- पुष्पा तिर्की के बीमा पेपर की फोटोकॉपी।
- मार्क "X/III"- प्रकाश टोपनो के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी।

(लाइसेंस संख्या 9210/09 प्राइवेट। जारी करने की तिथि 18.06.2009, एम.एल.सी.वाई.+(एम.वी. प्राइवेट)

7. यद्यपि विपक्षी पक्ष संख्या 1, आरोपित वाहन के मालिक की ओर से किसी गवाह की जांच नहीं की गई है, तथापि विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से निम्नलिखित गवाहों की जांच की गई है:-

- ओपीडब्ल्यू-1 अंकित त्रिपाठी
- ओपीडब्ल्यू-2 ललन प्रसाद सिंह

8. विपक्षी पक्षों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:-

- ईएक्सटी. ए - पुष्पा तिर्की की मालिकाना किताब।
- ईएक्सटी. बी - पुष्पा तिर्की का बीमा कागज।
- ईएक्सटी. सी - वाहन के अस्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या जेएच-01जी(टी)-8930 और जेएच-01जी(टी)-4470

- ईएक्सटी. डी - वाहन का खुदरा चालान (दिनांक 14-01-2011) इंजन नं. GHB4H21866, चेसिस नं. A1XA2GHKB5J9412
- ईएक्सटी. ई - मृतक प्रकाश टोपनो का - ड्राइविंग लाइसेंस नं.9210/09
- एक्सटेंशन. एफ- पॉलिसी वाहन की कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी इंजन नंबर GHB4H21866, चेसिस नंबर MA1XA2GHKB5J9412 के साथ नियम और शर्तें।
- ईएक्सटी. जी- बोलेरो के चालक संतोष कुमार के डी.एल. संख्या 9210/09 की प्रति।
- ईएक्सटी. एच- जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, रांची से जारी पत्र संख्या 2888 दिनांक 14.09.2017
- ईएक्सटी. आई और आई/1- अनुज्ञापति का मूल रजिस्टर संख्या 9201/09 राजेश चंद्र महतो के नाम से निजी लाइसेंस के लिए जारी किया गया।
- ईएक्सटी जे एंड जे/1- द्वितीय अनुज्ञापति का मूल रजिस्टर नं. 9201/09, चालक बिनेश साहू को वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए जारी किया गया।
- मार्क “X”- पहचान के लिए बोलेरो चालक संतोष कुमार के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी। मार्क “X/1”- पहचान के लिए 29-01-2012 को जारी आर.सी. की फोटोकॉपी।

9. पक्षों के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, विद्वान न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष दर्ज किया कि मृतक प्रकाश टोपनो की मृत्यु सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाते समय हुई थी, जबकि वह उसे चला रहा था और विपक्षी संख्या 1 (वाहन का मालिक) द्वारा नियोजित था। अनधिकृत ड्राइविंग और नशे की हालत में वाहन चलाने की संभावना को भी खारिज कर दिया गया है। पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में, जिसमें पाया गया कि मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस नकली और जाली था, यह माना गया कि वाहन के लापरवाही से चलाने के लिए नियोक्ता किसी भी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, बीमा कंपनी को पहले दावेदारों को पुरस्कार राशि का भुगतान करने और फिर वाहन के मालिक/बीमित व्यक्ति से इसे वसूलने के लिए दायित्व के साथ बांधा जा सकता है। यह भी पाया गया कि बीमा पॉलिसी (ईएक्सटी-एफ) कार पैकेज पॉलिसी है, जिसके लिए 13,906/- रुपये का ओडी प्रीमियम लिया गया है और 2,750/- रुपये की मूल तृतीय पक्ष देयता है, इस प्रकार चालक और अन्य यात्रियों की देयता भी बीमा पॉलिसी में शामिल है। मुद्दा संख्या 5 के संबंध में, यह माना गया कि मृतक 35 वर्ष का था और वह अपनी पत्नी, नाबालिग बच्चों और बूढ़े माता-पिता को पीछे छोड़कर

मर गया, इसलिए, पुरस्कार की गणना के सिद्धांतों को लागू करते हुए, 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ केवल 6,08,540/- रुपये का विवादित पुरस्कार पारित किया गया है।

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने विवादित निर्णय पर जोरदार तरीके से तर्क दिया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता को दावेदारों को मुआवजा देने और इसे मालिक/बीमित व्यक्ति से वसूलने का निर्देश देकर गंभीर अवैधता की है। जबकि अपीलकर्ता द्वारा परीक्षित गवाह यह साबित करने में सक्षम रहे हैं कि मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था और बीमाकर्ता मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के पीड़ित को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपकृत्य कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि मालिक तीसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाने वाले नौकर के गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इस दुर्घटना मामले में, नौकर ने दुर्घटना करने में खुद ही लापरवाही बरती थी, इसलिए मामले के किसी भी दृष्टिकोण से बीमाकर्ता को किसी भी तरह से बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त के मद्देनजर, इस मामले में भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है, बल्कि इस मामले में केवल मालिक को ही मुआवजा राशि का भुगतान करने का दायित्व सौंपा जा सकता है। इसलिए, विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

11. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया है तथा प्रस्तुत किया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मामले के प्रत्येक पक्ष-विपक्ष के साथ-साथ बीमा पॉलिसी की शर्तों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों पर भी विचार किया है तथा सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दावेदारों ने भी पुरस्कार को चुनौती देते हुए अलग से कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए इस अपील में कोई गुण-दोष नहीं है, जिसे खारिज किया जाना उचित है।

12. इस अपील में विवाद का एकमात्र बिन्दु पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर अपीलकर्ता के दायित्व के बहिष्कार के बारे में है और मृतक स्वयं वाहन चलाने में लापरवाही बरत रहा था, उसे तृतीय पक्ष नहीं माना जा सकता, इसलिए बीमा कंपनी को पहले मुआवजा राशि का भुगतान करने और फिर बीमाधारक से इसे

वसूलने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वह दायित्व से पूरी तरह मुक्त होने का हकदार है।

13. उपरोक्त तर्कों के संदर्भ में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा है:-

i. **मोहम्मद हनीफ एवं अन्य बनाम एच.पी. रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य (2005) 13 एस.सी.सी. 694**
ii. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशालता भौमिक एवं अन्य (2018) 9 एससीसी 801**
iii. **तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम बनाम नटराजन एवं अन्य (2003) 6 एससीसी 137**
iv. **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीप संख्या जीजे-6-जेजे-9875 का चालक शामिल नहीं हुआ और अन्य 2016 (4) टीएसी 180**
v. **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती ब्राह्मी एवं अन्य 2016(0) सुप्रीम (एचपी) 2071**
vi. **पप्पू एवं अन्य बनाम विनोद कुमार लांबा एवं अन्य (2018) 3 एससीसी 208**

14. मैंने उपरोक्त निर्णयों का अध्ययन किया है तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार इनमें से कोई भी पूर्व निर्धारित मामले में सटीकता से लागू नहीं होता है। अधिकांश मामले इस बात से संबंधित हैं कि क्या बीमाधारक मालिक-सह-चालक था तथा क्या पॉलिसी की शर्तें थीं तथा चालक-सह-मालिक के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाना था। वर्तमान मामले में मृतक को वाहन चलाने के लिए उसके मालिक (विपक्षी संख्या 1) द्वारा चालक के रूप में नियुक्त किया गया था, यद्यपि अपने लिखित कथन में विपक्षी संख्या 1/बीमाधारक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चालक/मृतक ने त्योहार का आनंद लेने के लिए अपने परिवार के साथ अपने काम के लिए उसकी सहमति के बिना वाहन लिया था तथा दुर्घटना वाहन के अकुशल चालक होने के कारण हुई, लेकिन इस बात से विशेष रूप से इनकार नहीं किया कि मृतक उसके द्वारा नियोजित नहीं था।

15. मालिक/बीमाधारक द्वारा उक्त दलील को प्रमाणित करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बीमाकर्ता बीमाधारक द्वारा ली गई किसी भी दलील का लाभ तब तक नहीं उठा सकता जब तक कि यह साबित न हो

जाए। इसलिए, मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस नकली और जाली पाया गया था, जो ओ.पी. नंबर 2 द्वारा जांचे गए गवाहों के स्पष्ट साक्ष्य और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए मूल रजिस्टर के उत्पादन पर आधारित है। इस संबंध में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को मालिक/बीमाधारक द्वारा कोई अलग अपील दायर करके चुनौती नहीं दी गई है, जो अंतिम रूप ले चुकी है।

16. अपीलकर्ता द्वारा दुर्घटना के समय वाहन के संबंध में जारी की गई कम्प्यूटरीकृत बीमा पॉलिसी के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यापक निजी कार पैकेज पॉलिसी है, जिसमें कर्मचारी-एक व्यक्ति के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक दुर्घटना के समय दुर्घटना के समय वाहन चला रहा था और उसकी गलती और लापरवाही के कारण दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार, पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, बीमा कंपनी/अपीलकर्ता ब्याज सहित पुरस्कार राशि का भुगतान करने और फिर मालिक/बीमित व्यक्ति से इसे वसूलने के लिए उत्तरदायी है।

17. उपरोक्त चर्चा और कारणों को देखते हुए, मेरा यह पक्का मत है कि बीमा कंपनी किराए पर लिए गए ड्राइवर की मृत्यु की स्थिति में मोटर वाहन दुर्घटना दावे के लिए मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है, भले ही दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई हो। यह दायित्व तब उत्पन्न होता है जब बीमाकर्ता ने भुगतान किए गए कर्मचारी की देयता को कवर करने और वाहन के मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम स्वीकार कर लिया हो। इसलिए, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है जिसे खारिज किया जाता है।

18. अपीलकर्ता-बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई वैधानिक राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक: 21/12/2023
पप्पू/ए.एफ.आर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।